वाणिज्यिक न्यायालय प्रयागराज

<u>निष्पादन वाद सं० 263/2016</u>

मे० शाही एसोसिएटस बनाम अधिशाषी अभियन्ता व अन्य

<u>11.03.2024</u>

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर डिक्रीदार व निर्णीतऋणी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

2. डिक्रीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रस्तुत मामले में निर्णीतऋणी विभाग के सक्षम अधिकारीगण इस न्यायालय के आदेश के बावजूद जानबूझकर अवार्ड की धनराशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। निर्णीतऋणी की ओर से अवार्ड की धनराशि के भुगतान करने के लिए न्यायालय द्वारा कई अवसर दिया जा चुका है। न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2023 को निर्णीतऋणी विभाग का खाता नं० दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया है जिसका अनुपालन नहीं किया गया है और अभी तक अवार्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

3. आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि डिक्रीदार की ओर से निर्णीतऋणी की ट्रेजरी खाता को अटैच किये जाने के लिये प्रार्थनापत्र 30ग और प्रार्थनापत्र 33ग निर्णीतऋणी के सक्षम अधिकारीगण के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये जाने हेतु दिया गया है जिसका अभी निस्तारण नहीं किया गया है। दोनों प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुये न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

4. निर्णीतऋणी विभाग के सहायक अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित होकर यह बताया कि शासन स्तर से अवार्ड की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। प्रमुख सचिव ऊ० प्र० सरकार के स्तर पर स्वीकृति होनी है जिसके लिए न्यायहित में 15 दिन का अवसर दिया जाये।

5. मैने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है प्रस्तुत निष्पादन वाद वर्ष 2016 से लम्बित है जिसका निस्तारण अविलम्ब प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आपेक्षित है। प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2023 को निर्णीतऋणी सं०-4 अधिशाषी अभियन्ता को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर इस मामले में भुगतान कराये जाने हेतु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आदेशित किया गया है। न्यायालय आदेश के अनुपालन में अधिशाषी अभियन्ता न्यायालय में उपस्थित हुये और उन्होने बताया कि शासन स्तर से अवार्ड की धनराशि के भुगतान के लिए प्रयास किया जा रहा है और गणनाशीट दे दी गयी है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध **कागज सं० 38ग** में निर्णीतऋणी के द्वारा भुगतान हेतु कुल धनराशि ब्याज सहित रू० 86,47,225/- (छियासी लाख सैतालिस हजार दो सौ पच्चीस रूपया) का गणनासीट में उल्लेख किया है। डिक्रीदार की ओर से उक्त गणनासीट में वर्णित धनराशि पर आपत्ति की गयी और **प्रार्थनापत्र 39ग** प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि निर्णीतऋणी के कागज सं० 17ग दिनांक 06.09.2019 में कुल बकाया धनराशि **रू० 3,88,11,048/-** स्वीकार किया गया है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अवार्ड की प्रति कागज सं० 7सी अवार्ड की कुल धनराशि **38,81,048/- रू०** है जिस पर अवार्ड पारित किये जाने की तिथि भुगतान किये जाने की तिथि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 31(7)(बी) के प्रावधान के अनुसार ब्याज देने का भी अवार्ड पारित किया गया है। उक्त अवार्ड के अनुक्रम में निर्णीतऋणी की ओर से अद्यतन गणनासीट **38ग** दाखिल करते हुये। जिसमें अवार्ड की धनराशि कुल **38,81,048/-** जिस पर दिनांक 07.05.2013 से माह जुलाई 2023 कुल ब्याज कुल धनराशि **47,66,777.58/-** का गणना करके भुगतान किये जाने हेतु कुल धनराशि **8647825.58/-** रू० का उल्लेख है जिसे शासन स्तर से बजट की मांग कर निर्णीतऋणी ने भुगतान किये जाने का कथन किया है। डिक्रीदार की ओर से 39ग प्रस्तुत कर अवार्ड की धनराशि मय ब्याज सहित कोई गणनासीट दाखिल नहीं किया है।

9. आदेश पत्र के अवलोकन से यह भी विदित है कि निर्णीतऋणी की ओर से दिनांक 31.03.2023 के उपरान्त से अब तक न्यायालय के आदेश बावजूद उक्त गणनासीट में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया है।

10. डिक्रीदार की ओर से प्रार्थनापत्र 30ग में निर्णीतऋणी अधिशाषी अभियन्ता निचली गंगा नहर (एल०जी०सी०) डिवीजन फतेहपुर का **ट्रेजरी खाता नं० 8782001020204 फतेहपर 2175-एल०जी०सी० का उल्लेख करते हुये 3,88,11,048/- रू० की धनराशि दिलाये जाने की याचना की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिक्रीदार की ओर से अवार्ड के अनुसार कुल धनराशि का भुगतान किये जाने का कोई गणनासीट न दाखिल करके निर्णीतऋणी के प्रार्थनापत्र 17ग में गलत उल्लिखित धनराशि के आधार पर दिलाये जाने की याचना की है जबकि निर्णीतऋणी ने गणनासीट कागज सं० 38ग में डिक्रीदार को भुगतान हेतु** कुल धनराशि **8647825.58/-** रू० का उल्लेख किया है।

11. उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में निर्णीतऋणी/ की ओर से **डिक्रीदार को भुगतान हेतु** कुल धनराशि **8647825.58/-** रू० भुगतान न किये जाने के कारण निर्णीतऋणी सं०-4 /अधिशाषी अभियन्ता निचली गंगा नहर (एल०जी०सी०) डिवीजन फतेहपुर का **ट्रेजरी खाता नं० 8782001020204 फतेहपर 2175-एल०जी०सी० खाता अटैच कर धनराशि रू० 8647825.58/- तक रोके जाने योग्य है।**

<u>आदेश</u>

12. निर्णीतऋणी सं०-4 /अधिशाषी अभियन्ता निचली गंगा नहर (एल०जी०सी०) डिवीजन फतेहपुर का **ट्रेजरी खाता नं० 8782001020204 फतेहपर 2175-एल०जी०सी० खाता अटैच किया जाता है तदनुसार उक्त ट्रेजरी खाता में उपलब्ध मे से रू० 8647825.58/- तक की धनराशि रोका जाता है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 17ग, 30ग व आपत्ति 39ग निस्तारित किया जाता है।**

13. उक्त आदेश के अनुक्रम में मुख्य कोषाधिकारी फतेहपुर को अनुपालन हेतु पत्र जारी किया जाये और उसे डिक्रीदार को दस्ती के रूप में दी जाये।

14. पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 22.03.2024 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय
प्रयागराज